

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-2/आरपीएससी-10/2011/

दिनांक:

समस्त संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषय:— नर्स श्रेणी द्वितीय के पदस्थापन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय के आदेश संख्या ई-11/नर्स-2/
आरपीएससी-10/2011/353 दिनांक 18.05.2011 के द्वारा आपके अधीन पदस्थापित किये
गये नर्स श्रेणी द्वितीय के पदस्थापन के समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जावे कि
कार्यग्रहण करने वाले नर्सिंग कर्मियों में से 50 प्रतिशत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एवं
50 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लगाये जावे।

S/z
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-2/आरपीएससी-10/2011/394

दिनांक: 24/5/2011

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/
जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय
वेबसाईट पर डाउनलोड करें।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली

Glm
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर